

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ 17(10)खा.वि./न्याय/2010/लूज

जयपुर ई-हस्ता. दिनांक

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 17(14)खा.वि./न्याय/2010 दिनांक 24.09.2024 के द्वारा जिला सीकर की तहसील रींगस (ग्रामीण) और नगरपालिका खण्डेला की गठित तहसील स्तरीय आवंटन सलाहकार समिति के पूर्व मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन निरस्त/रद्द कर उनके स्थान पर नवीन गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन निम्नानुसार किया है:-

क्र.सं.	जिला	तहसील/नगरीय क्षेत्र	नाम/पता
1.	सीकर	रींगस (ग्रामीण)	श्रीमती सावीत्री देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह बाजियां, पता बावडी, रींगस, जिला सीकर, 9887727201
			श्री बालवीर सिंह पुत्र श्री झाबर मल, पता सौथलियां, बावडी, रींगस जिला सीकर, 9929484292
			श्री झाबर मल रूलानियां पुत्र श्री रुधा राम रूलानियां, पता ढाणी चांगावाली, रानीपुरा, रींगस, जिला सीकर, 9887777879
2.	सीकर	खण्डेला (नगरपालिका)	चंचल देवी पत्नी श्री धीरज कौशिक, खण्डेला, जिला सीकर, 8741876465
			श्री अंकेश शर्मा पुत्र श्री रतनलाल शर्मा, पता वार्ड नं. 24, खण्डेला, जिला सीकर, 7615984002
			श्री अमित कुमार सैनी पुत्र श्री गणपत राम सेनी, पता वार्ड नं. 15, मालियान मोहल्ला, दायरा, खण्डेला, जिला सीकर, 7850933545

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला सहायक, उपायुक्त एवं उपशासन सचिव (प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, सीकर, राजस्थान।
6. जिला रसद अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि निर्देशानुसार संबंधित को दूरभाष पर सूचित करने एवं उनके परिचय पत्र बनवाने इत्यदि अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. ए.सी.पी. खाद्य विभाग को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षा पत्रिका।